बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– DoH/SS/25/2025–पी०एल०एम०(शा०बा०)-19-133/ कृ०, पटना, दिनांक– 02.09.2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए छत पर बागवानी अंतर्गत गमले एवं फार्मिंग बेड योजना हेतु 317.00 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए छत पर बागवानी अंतर्गत गमले एवं फार्मिंग बेड योजना हेतु 317.00 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर जैविक फल, फूल एवं सब्जी के क्षेत्र को बढ़ावा देना एवं पर्यावरण सुधार हेतु हरित क्षेत्र विकसित करना तथा सौंदर्यीकरण करना है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के चार जिलों यथा–पटना (पटना सदर, फुलवारीशरीफ, दानापुर, खगौल तथा बिहटा के शहरी क्षेत्रों), गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के नगर निगम क्षेत्रों में किया जायेगा।योजना अन्तर्गत जिलावार/घटकवार कार्य योजना अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. योजना का घटकवार संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैं:–

I. **गमले की योजना–** इस घटक अंतर्गत प्रति इकाई 30 गमला (10'' का 5, 12'' का 5, 14'' का 10 एवं 16'' का 10 गमला पौधा सहित) इच्छुक व्यक्तियों को दिया जायेगा। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अधिकतम 5 यूनिट (30 X 5 = 150 गमला पौधा सहित) का लाभ लिया जा सकेगा। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को इस घटक का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का गमला (क्लेपॉट) होगा, जिसपर उद्यान निदेशालय का लोगो White Paint से करना आवश्यक होगा।

गमले की योजना अंतर्गत संबंधित एजेन्सी द्वारा निकाई, गुड़ाई, सिंचाई हेतु 3 माह तक प्रति माह 02 बार 15 दिनों के अंतराल पर लाभुकों को माली की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। गमले की योजना का प्रति इकाई (30 गमला पौधा सहित) का लागत राशि 10,000 रूपये है जिसपर 75 प्रतिशत की दर से 7,500 रूपये In Kind के रूप में एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। शेष राशि 2,500 रूपये लाभुकों द्वारा वहन किया जायेगा। इस घटक से संबंधित गमलों के आकार एवं दिये जाने वाले पौधों से संबंधित विस्तृत विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

II. **फार्मिंग बेड की योजना–** इस धटक अंतर्गत प्रति यूनिट 03 पोर्टेबल फार्मिंग बेड, 02 ऑर्गेनिक किट, 06 फ्रुट बैग (24''x 24'') फ्रुट प्लांट साहित, 5 राउण्ड स्पीनेच ग्रोइंग बैग (24''x 12''), ड्रेन सेल (120 sqft), सेपलिंग ट्रे (1 ट्रे प्रति सिजन–तीनों सिजन में), हैण्ड स्प्रेयर 1, खुरपी 1, मोटर एवं बाल्टी के साथ ड्रिप संस्थापन किया जायेगा। फार्मिंग बेड के निकाई, गुड़ाई एवं सिंचाई की सुविधा चयनित एजेंसी द्वारा प्रति इकाई प्रति माह 02 (15 दिनों के अंतराल पर) बार किया जायेगा। इससे संबंधित विस्तृत विवरण अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

एक आवेदक फार्मिंग बेड योजना में अधिकतम 2 यूनिट का लाभ ले सकते हैं। इस घटक का लाभ किसी भी सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान यथा– विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल इत्यादि द्वारा 5 यूनिट तक का लाभ लिया जा सकेगा।

फार्मिंग बेड की योजना का प्रति इकाई लागत राशि 60,000/– रूपये है जिसपर 75 प्रतिशत की दर से 45,000/– रूपये In Kind के रूप में दो किस्त में अनुदान दिया जायेगा। शेष राशि 15,000/– रूपये लाभुकों द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान का 90 प्रतिशत (40,500/–रूपये) राशि का भुगतान किया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि (4,500/–रूपये) का भुगतान एजेंसी द्वारा संतोषप्रद कार्य किये जाने के उपरांत लाभुकों से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा।

III. **योजना का प्रचार–प्रसार –** इस घटक अन्तर्गत योजना के प्रचार–प्रसार हेतु रेडियो जिंगल (पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में चलने वाले सभी एफ.एम. रेडियो चैनल पर लगातार तीन माह) तथा विभिन्न चौक–चौराहो पर होर्डिंग, लिफलेट /पम्पलेट एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन इत्यादि बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 3.50 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5. छत पर बागवानी अंतर्गत गमले की योजना का इकाई लागत दिनांक–06.11.2023 को एवं फार्मिंग बेड योजना का इकाई लागत दिनांक–26.05.2025 को कृषि निदेशक बिहार की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटि की बैठक से अनुशंसित है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 छत पर बागवानी अंतर्गत गमले (पौधा सहित) एवं फार्मिंग बेड की आपूर्ति हेतु पंजीकृत एजेन्सियों के माध्यम से किया जायेगा।

7. इच्छुक आवेदक के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने हेतु हॉर्टिकल्चर के वेबसाईट के लिंक http://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर Dashboard पर "छत पर बागवानी योजना" के "आवेदन करें" पर Click कर आवेदन किया जायेगा

8. योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

9. इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

10. प्रावधानित बजट के आलोक में लाभुकों का चयन सामान्य क्षेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC- 25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

13. इस योजनान्तर्गत कुल 22320 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

14. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

15. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

17. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्य योजना		
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.4900	248.96
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.0000	63.40
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.5100	4.64
योग	**24300.0000**	**317.00**

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–29.08.2025 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति से योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– DoH/SS/25/2025 के पृ0सं0–34/टि0 पर दिनांक–02.09.2025 को प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– DoH/SS/25/2025 के पृष्ठ संख्या–33/टि० दिनांक–01.09.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–705 दिनांक–01.09.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/25/2025–पी०पी०एम०(बागवानी)-19-133-/कृ०, पटना, दिनांक - 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/25/2025–पी०पी०एम०(बागवानी)-19-133-/कृ०, पटना, दिनांक - 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/25/2025–पी०पी०एम०(बागवानी)-19-133-/कृ०, पटना, दिनांक - 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/25/2025–पी०पी०एम०(बागवानी)-19-133-/कृ०, पटना, दिनांक - 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\DD2 (Gaurav)\Sanction Order (Chhat pe Baghwani) (317.00).doc

ज्ञापांक– DoH/SS / 25 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-133-/ कृ०, पटना, दिनांक – 02.09.,2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संबंधित उप निदेशक, उद्यान / सभी जिला उद्यान पदाधिकारी / संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS / 25 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-133-/ कृ०, पटना, दिनांक – 02.09.,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत छत पर बागवानी योजना का जिलावार कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	गमले की योजना अंतर्गत यूनिट की संख्या (प्रति यूनिट गमले की संख्या 30)		फार्मिंग बेड योजना अन्तर्गत यूनिट की संख्या		योजना प्रचार–प्रसार पर व्यय	श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	
1	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	2400	180	180	81	2	206.55	52.60	3.85	263.00
2	सहायक निदेशक उद्यान, गया	300	23	30	13.5	0.5	28.67	7.30	0.53	36.50
3	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	50	4	10	4.5	0.5	6.87	1.75	0.13	8.75
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	50	4	10	4.5	0.5	6.87	1.75	0.13	8.75
कुल		**2800**	**210**	**230**	**103.5**	**3.5**	**248.96**	**63.40**	**4.64**	**317.00**

देव नारायण महतो

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

अनुसूची–2

छत पर बागवानी योजना अन्तर्गत (गमलों की योजना)

वित्तीय वर्ष 2025–26 (एक युनिट में उपलब्ध सामग्री की विवरणी)

- **Clay Pot**
  Clay Pot 10"में लगने वाले पौधे :–
  Tulsi, Ashwagandha, Aloevera, Stevia and Mint Plant (Mentha) etc.
  Clay Pot 12"में लगने वाले पौधे :–
  Snake Plant (Sensveria), Daffon, Money Plant, Rose and Chandani etc.
  Clay Pot 14" में लगने वाले पौधे :–
  Areca Palm, FicusPanda, Adenium, Tagar, Aprajita, Almonda, Ticoma, Baugain-vellia, Bhutani Malika, Starlight Ficus and Kari-patta etc.
  Clay Pot 16"में लगने वाले पौधे :–
  Guava, Mango, Nimbu, Chiku, Banana, Apple Ber, Rubber Plant, Hibiscus, X-mas Plant, Croton and Morepankhi (Thuja spp.), etc.

Fruits की सूची	प्रभेद
Guava	Thai
Mango	Amrapali
Nimbu	Sai Sharbati
Chiku	PKM-1 Sapota
Banana	Cavendish
Apple Ber	Kashmiri Red

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 10 पौधों का चयन किया जा सकता है।

- **Permanent Flowers** की सूची
  Adenium
  Rose
  Tagar (Gandhraj)
  Aparajita
  Chandani
  Hibiscus
  Almonda
  Ticoma
  Baugainvellia
  Bhutani Malika
  Bela/Juhi/Chameli

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 10 पौधों का चयन किया जा सकता है।

Medicinal/Aromatic Plants की सूची
Tulsi
Alovera
Ashwagandha
Stevia
Kari Patta
Mint Plant (Pudina)
Lemon grass
Vasak (हड़वाकस/वाकस)

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 3 पौधों का चयन किया जा सकता है।

- **Indoor/Purifying &Show Plant** की सूची
  Areka Palm
  Rubber Plant/Ficus Lyrata
  Snake Plant/Sensveria
  Daffon (Difenbachia)
  More Pankhi (Thuja Spp.)
  Crotan
  X-mas Plants (Aracaria)
  FicusStar Light
  FicusPanda
  Singonium
  Aglonema

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 6 पौधों का चयन किया जा सकता है।

प्रति यूनिट राशि की गणना

- Clay Pot 10" - 5pc x Rs.40 = Rs. 200
  Clay Pot 12" - 5pc x Rs.75 = Rs. 375
  Clay Pot 14" - 10pc x Rs.115 = Rs. 1150
  Clay Pot 16" - 10pc x Rs.175 = Rs. 1750
  Total = Rs. 3475.00
- Permanent flowers के समूह से कोई भी 10 @Rs. 125.00
  Amount = Rs. 1250.00
- **Fruit** समूह से कोई भी 10 पौधा @Rs. 120.00
  Amount = Rs. 1200.00
- Medicinal/Aromatic Plant समूह से कोई भी 3 पौधा @Rs. 40.00
  Amount = Rs. 120.00
- Indoor/Purifying & Show plant समूह से कोई भी 6 पौधा @Rs. 160.00
  Amount = Rs. 960.00
- मिट्टी, कम्पोस्ट, मजदूरी व्यय एवं परिवहन खर्च – 3000.00 रूपये
  कुल योग –3475.00 + 1250.00 + 1200.00 + 120.00 + 960.00 + 3000.00 = 10,005.00
  In round figure in Rs. 10,000.00

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची :– 3

छत पर बागवानी योजना का अवयववार विवरणी (300 Sq. ft.)

(फार्मिंग बेड)

S. N.	Item	Qty	Rate	Value	Component Details
1	2	3	4	5	6
1	Portable Farming System (40 sq. ft. growing area + 30 sq. ft. walk around area) Size 10 ft x 10 inch)	3	14600	43800	Vermi compost (100kg) + Cocopeat dry (40kg) + Perlite (1kg) + Concentrated Organic material (3Kg) for one potable farming system Ms Frame Green Net (120 sqft) Drip System (For 120 Sqft) Sub surface drainage system (For 120 sqft)
2	Organic Gardening Kit (for 9 months)	2	1000	2000	Organic spray (12 bottle) Yellow sticky trap (1) Bio-fertilizer (mid-season) (4 kg) Bio-fertilizer (end-season) (5 kg) Net thread
3	Fruit Bag (24 inches x 24 inches)	6	500	3000	Container (24 inches x 24 inches) Drip System Vermi compost (20 kg) + Cocopeat dry (10 kg) + Gangetic silt for one Fruit bag
4	Round spinach growing bag (24 inches x 12 inches)	5	400	2000	Container (24 inch x 12 inch) Drip System Vermi compost (12 kg) + Cocopeat dry (6 kg) + Gangetic silt for one growing bag
5	Drain cell	120ft	35	4200	HDPE (30 mm)
6	Fruit Plant	6	80	480	Guava, mango, anar, fig etc.
7	Sapling tray (1 tray/Season)	40 (plant each season)	Hybrid seedling-3 /plant Exotic plant-10/plant	500	only seedling will be provided for vegetable crop except leafy vegetable
8	Hand sprayer	1	150	150	1 Litre
9	Khurpi	1	100	100	For deep hoeing
10	Drip installation with motor and bucket	1		300	
11	On site support visit	12 (Monthly 2 visit)	300	3600	
Total				60130	
Say as				60000	

Total area required- 300 sq.ft.,

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)